	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	पौष 20, शुक्रवार, *शाके* 1941–जनवरी 10, 2020 *Pausa 20, Friday, Saka 1941–January 10, 2020*	

भाग-3(ख)

सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपनी सहज शक्तियों के प्रयोग में, बनाये जाने को प्रस्तावित प्रारूप नियम, आनियम, उप-नियम और आज्ञायें ।

कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, राजस्थान, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 09, 2019

संख्या प.5 (9) क.सं./2019 :-राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 (राजस्थान अधिनियम 19 सन् 1961) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु नियम, 1968 के नियम-6 के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित प्रारूप में प्रवेश फीस प्रस्तावित करती है। इसके द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है एवं सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राज-पत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के अन्दर-अन्दर प्रभावित होने वाले व्यक्ति अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकते है।

उक्त प्रारूप के संबंध में 15 दिन की कालावधि में प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा। ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव प्रमुख शासन सचिव कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, राजस्थान, जयपुर को संबोधित किये जा सकेंगे। 15 दिन की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

प्रारूप

अनुसूची-11

(नियम 6 देखिये)

भाग-1

संग्रहालय के लिए प्रवेश फीस (साधारण एवं वीडियो कैमरा सहित)

निम्नानुसार संदेय होगी

क्र. सं.	संग्रहालय का नाम	भारतीय पर्यटक	विदेशी पर्यटक
1	विरासत संग्रहालय, किशनपोल बाजार, जयपुर	10.00	50.00

श्रेया गुहा,

प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।